कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या–2714 /अधि0/दो–39/2009 दिनांकः 9 अक्टूबर, 2009

कार्यालयादेश

उत्तराखण्ड राज्य के सम्भागीय स्तर के लिपिक वर्गीय कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित करते हुए, आपत्तिकर्ताओं को सुनवायी हेतु दिनांक 15–09–09 की तिथि नियत की गयी थी। जिसमें आपत्तिकर्ता उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा अपनी आपत्ति पर बल दिया गया। आपत्तिकर्ताओं को सुनने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है–

1– श्री देवेन्द्र सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री रेशम सिंह, प्रवर सहायक द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

परिवहन विभाग मे श्री देवेन्द्र सिंह रावत, प्रवर सहायक की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 24–05–89 एवं श्री रेशम सिंह, प्रवर सहायक की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 05–04–88 को हुयी थी। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात उक्त दोनो कार्मिकों को दिनांक 21–09–2001 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित किया गया था। उपरोक्त दोनो कार्मिकों के पर्वतीय उपसंवर्ग के न होने के कारण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उनका अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड राज्य हेतु किया गया है।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन नियमावली, 1989) के नियम 7–(1) के अनुसार–

इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथा स्थिति, नियमित विधि प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखी जायेगी।

उपरोक्त नियमों के प्रकाश में श्री देवेन्द्र सिंह रावत एवं श्री रेशम सिंह की आपत्ति मान्य नही है।

2– श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि दिनांक 19–05–83 से दिनांक 19–06–88 तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत रहे। दिनांक 20–06–88 को उनकी पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी थी। उनके द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से

ही अविरल कार्यरत होने एवं वेतन समेत अन्य सभी हित लाभ प्राप्त करने के आधार पर वरिष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार श्री बिजल्वाण की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पद पर हुयी थी। तदोपरान्त दिनांक 20–06–88 को कनिष्ठ सहायक के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गयी थी। शासनादेश संख्या–941/500/सा0प्र0परि0/पी0ए0/कैम्प/01 दिनांक 21–09–01 के अनुपालन में कार्यालयादेश संख्या–430/अधि0/विनि0/01 दिनांक 25–09–01 के द्वारा परिवहन विभाग के पुर्नगठन के बाद उपलब्ध पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण किया गया है। पर्वतीय उपसंवर्ग न होने के कारण उनका अंतिम आवंटन शासनादेश संख्या–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियम–7–(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उन्हे चयन के पश्चात नियुक्ति के आदेश के दिनांक 25–09–01 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।

श्री बिजल्वाण द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतः श्री बिजल्वाण की आपत्ति मान्य नही है।

3– श्री रतन सिंह गुरूंग, श्री विनोद कुमार भट्ट, श्री सुरेश चन्द बछेटी एवं श्री दिलवर सिंह गुसांई द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के कार्यालयादेश संख्या–01/दो–4/नियुक्ति/प्र0/97 दिनांक 01–01–98 के द्वारा उपरोक्त कार्मिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्ति की विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1989 के नियम–10 के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित आदेशों के अनुपालन में 01–10–1986 को या इससे पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त उक्त कार्मिकों को तदर्थ नियुक्ति की तिथि से मूल पद कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित किया गया। श्री रतन सिंह गुरूंग की तदर्थ नियुक्ति की तिथि 12–05–83, श्री सुरेश चंद्र बछेटी की तदर्थ नियुक्ति की तिथि 05–05–83, श्री दिलवर सिंह गुसांई की तदर्थ नियुक्ति की तिथि 03–05–86 एवं श्री विनोद कुमार भटट की तदर्थ नियुक्ति की तिथि 01–07–85 है।

शासनादेश संख्या–814/ix/362/05 दिनांक 14–10–05 के द्वारा उपरोक्त कार्यालयादेश सख्या–01/दो–4/नियुक्ति/प्र0/97 दिनांक 01–01–98 जो त्रुटि पूर्ण था, द्वारा जारी विनियमितीकरण आदेश संशोधित करते हुए, विनियमितीकरण आदेश जारी किये

जाने की तिथि दिनांक 01–01–98 को ही मौलिक नियुक्ति की तिथि विहित कर आदेश जारी करने के निर्देश प्राप्त हुये, जिसके कम में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा कार्यालयादेश संख्या–7189/सा0प्र0/दो–4/नियुक्ति/05 दिनांक 27–01–06 के द्वारा उक्त विनियमितीकरण आदेश दिनांक 01–01–98 को संशोधित करते हुए, **"तदर्थ नियुक्ति की तिथि से"** के स्थान पर **"तत्काल प्रभाव से"** प्रतिस्थापित किया गया।

तदनुसार पूर्व में जारी विनियमितीकरण आदेश संशोधित किये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्मिकों को शासनादेश संख्या–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु आवंटित किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्मिकों को उ0 प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली के नियम–7–(1) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार नियमावली के अन्तर्गत चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक 01–01–98 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि श्री विनोद भट्ट के अतिरिक्त अन्य तीनो कार्मिकों के पर्वतीय उपसंवर्ग के न होने के कारण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उनका अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड राज्य हेतु किया गया है। अतः उपरोक्त चारो कार्मिकों की आपत्ति एक समान तथ्य के आधार पर होने के फलस्वरूप मान्य नही है।

इसी के साथ श्री बछेटी का पूर्ववर्ती प्रत्यावेदन, दिनांक 19–09–08 उक्त तथ्यों के आलोक में कोई बल न होने के आधार पर तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

4– श्रीमती अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक एवं श्री राकेश जौहरी, मुख्य सहायक द्वारा ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी नियुक्ति दिनांक 23–07–99 को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में हुयी तथा इनके पति के नियुक्ति प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून थे। हरिद्वार कार्यालय उस समय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर के अधीन था लेकिन इनकी नियुक्ति इनके पति के स्थान पर रिक्त पद पर हरिद्वार कार्यालय में की गयी थी। हरिद्वार जनपद उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित होने के कारण हरिद्वार कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के अन्तर्गत आ गया है।

शासनादेश सं0–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु 47 कार्मिकों का आवंटन हुआ है, जिसमें उपरोक्त दोनो कर्मी सम्मिलित नही है। शासन द्वारा उनका आवंटन न किये जाने के फलस्वरूप ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित नही किया

गया है। श्रीमती अर्चना शर्मा एवं श्री राकेश जौहरी के अतिरिक्त अन्य जिन कार्मिकों का अंतिम आवंटन नही हुआ है उनके सम्बन्ध में शासन से निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। शासन द्वारा इनका आवंटन किये जाने के पश्चात ही इनका नाम सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा। अतः इनकी आपत्ति ग्राहय नही है।

5– श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट एवं श्री विजय सिंह गुसांई, प्रवर सहायक द्वारा तदर्थ नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, की नियुक्ति परिवहन विभाग में दिनांक 06–05–83 को एवं श्री विजय सिंह गुसांई की नियुक्ति दिनांक 16–01–89 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर तदर्थ रूप में की गयी थी तथा इनका विनियमितीकरण दिनांक 03–09–2001 को उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात किया गया। शासनादेश संख्या–94 / ix / 449 / 09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उनका अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड राज्य हेतु किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2001 के नियम–7–(1) में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत चयन आदेश के दिनांक 03–09–2001 से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। अतः इनकी आपत्ति मान्य नही है।

6– कु0 विष्णु माया, मुख्य सहायक द्वारा आपत्ति की गयी है कि उनकी पदोन्नति दिनांक 28–01–2000 को मुख्य सहायक के पद पर की गयी तथा विरेन्द्र कुमार की पदोन्नति दिनांक 24–04–2004 को मुख्य सहायक के पद पर की गयी थी। उनके द्वारा कमांक 32 पर अपना नाम प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार कु0 विष्णु माया की नियुक्ति परिवहन विभाग में 24–08–83 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी थी। तत्पश्चात कार्यालयादेश संख्या–3324ई / 2003–186ई / निर्देश या0 / 99 लखनऊ दिनांक 03–11–03 के द्वारा कु0 विष्णु माया को **दिनांक 30–06–88 से वरिष्ठ लिपिक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी।**

पुनः कार्यालयादेश सं0–407 / अधि0 / पीएफसी / 42 / 05–06 दिनांक 29–09–06 के द्वारा कु0 विष्णु माया को दिनांक 28–01–2000 से वरिष्ठ सहायक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी थी।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0–3716ई/94–1224ई/93 दिनांक 14–06–1994 के द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के कनिष्ठ लिपिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित करते हुए, कु0 विष्णु माया को कमांक 14 पर स्थान दिया गया था।

श्री विरेन्द्र कुमार की नियुक्ति परिवहन विभाग में दिनांक 05–01–1979 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुयी थी। श्री विरेन्द्र कुमार की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति कार्यालयादेश सं0–123/दो–1/प्रशासन/86 दिनांक 27–03–85 को स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत वेतनमान 430–685 पर स्वीकृत किया गया। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालयादेश सं0–5384ई0/86–162ई0/86 दिनांक 22–09–86 द्वारा कनिष्ठ लिपिक/सहायक रोकडिया की ज्येष्ठता सूची अंतिम की गयी जिसमें श्री विरेन्द्र कुमार का नाम कम सं0–573 पर अंकित है।

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यायादेश संख्या–3424ई0/98–1803ई0/निदेश या0/95 लखनऊ दिनांक 28–08–1998 द्वारा कनिष्ठ लिपिक/सहायक रोकडिया की अंतिम ज्येष्ठता सूची में संशोधन करते हुए, कु0 विष्णु माया का नाम कम सं0–917(1) पर प्रतिस्थापित किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार का अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड राज्य हेतु किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात श्री विरेन्द्र कुमार को दिनांक 24–09–04 के द्वारा मुख्य सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। जबकि कु0 विष्णु माया को दिनांक 28–01–2000 से वरिष्ठ सहायक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी थी।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 6 के अनुसार **जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।** उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली (प्रथम संशोधन नियमावली 2009) के नियम 2 (8) (क) के अनुसार–

इस नियमावली के नियम 6, 7 या 8 में किसी बात के होते हुए भी उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा–73 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य को अंतिम रूप से आवंटित कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य के गठन की तिथि 09–11–2000 से ठीक पूर्व अर्थात दिनांक 08–11–2000 को जिस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अथवा नियमित रूप से पदोन्नत था को इस कारण पदावनत नही किया जायेगा कि उससे वरिष्ठ कार्मिक पदोन्नत नही हो सके है और न ही ऐसा वरिष्ठ कार्मिक ज्येष्ठता के आधार पर नोशनल पदोन्नति का हकदार

होगा। उत्तराखण्ड को अंतिम रूप से आवंटित सभी कार्मिक दिनांक 09–11–2000 के उपरान्त रिक्त उच्चतर पदों पर तभी पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे जब वह सम्बन्धित सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हता वास्तविक रूप से धारण करते हो भले ही उनसे कनिष्ठ कार्मिक दिनांक 09–11–2000 से ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त किन्ही नियमों के अधीन नियमित रूप से उच्चतर पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुका हो।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारियों की ज्येष्ठता नियमावली 2002 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार इन्हे मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक 22–08–83 से ज्येष्ठता प्रदान की जाती है। अतः कु0 विष्णु माया की आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है।

7– श्री राजेन्द्र प्रसाद चमोली, प्रवर सहायक द्वारा अपने नियुक्ति पत्र दिनांक 16–10–82 की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति की तिथि 06–08–84, के स्थान पर 16–10–82 अंकित करते हुए, सूची के कमांक 38 पर शिवदत्त मलकानिया के पश्चात नाम स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चमोली की नियुक्ति परिवहन विभाग में तदर्थ रूप से दिनांक 16–10–82 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी थी तथा इनका विनियमितीकरण दिनांक 22–03–84 को किया गया है। (उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी अंतिम सूची के अनुसार)

अतः इनकी आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, दिनांक 06–08–84 के स्थान पर 22–03–84 एवं सूची के तदर्थ नियुक्ति के कालम में 16–10–82 अंकित किया जाता है।

इन्हे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 के नियम–7–(1) में वर्णितानुसार नियमित नियुक्ति की तिथि से दिनांक 22–03–84 अंकित कर ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।

8– श्री तारकेन्द्र वैष्णव द्वारा हाईस्कूल की अंकपत्र की प्रति संलग्न करते हुए, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में 02–05–75 के स्थान पर वास्तविक जन्मतिथि 10–09–73 अंकित करने का उल्लेख किया गया है।

श्री तारकेन्द्र वैष्णव द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के माध्यम से प्राप्त हाईस्कूल परीक्षा 1987 की सत्यापित छायाप्रति के अनुसार इनकी जन्मतिथि 10–09–73 है।

अतः इनकी आपत्ति स्वीकार करते हुए, तदनुसार ज्येष्ठता सूची में 02–05–75 के स्थान पर सही जन्मतिथि 10–09–73 अंकित की जाती है।

9– श्री महेश चन्द्र उप्रेती द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनकी नियुक्ति सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर में दिनांक 27–11–82 को हुयी थी। वे जिला पिथौरागढ के मूल निवासी है तथा सितम्बर, 1996 से उत्तराखण्ड में कार्यरत है। उनके द्वारा ज्येष्ठता सूची में अपना नाम सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश सं0–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु 47 कार्मिकों का आवंटन हुआ है, जिसमें उपरोक्त श्री महेश चन्द्र उप्रेती का नाम सम्मिलित नही है। शासन द्वारा उनका आवंटन न किये जाने के फलस्वरूप ज्येष्ठता सूची में नाम सम्मिलित नही किया गया है। अतः इनकी आपत्ति मान्य नही है।

अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए, समयक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के सम्भाग स्तर के लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची को अंतिम किया जाता है।

9.10.09

(विनोद शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त।

संख्या– /अधि0/दो–39/09(1) समदिनांकित

प्रतिलिपी– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/पौडी/अल्मोडा।
3– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
4– सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
5– अधिष्ठान पत्रावली।
6– गार्ड फाइल।

9.10.09

(विनोद शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त।

सम्भागीय शाखा के लिपिक वर्गीय कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

क0सं0	नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि	कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि			वर्तमान पद	अभ्युक्ति
				तदर्थ नियुक्ति की तिथि	विनियमितीकरण / मौलिक नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री बहादुर सिंह	सामान्य	19.04.1943	16.04.1963	मई 1964	01.04.1968	मुख्य लिपिक	सेवानिवृत्त
2	श्री दान सिंह मेहरा	सामान्य	19.12.1943	01.02.1963	मई 1964	01.04.1969	मुख्य लिपिक	सेवानिवृत्त
3	श्री सुरेन्द्र सिह सभरवाल	सामान्य	09.11.1942	—	23.12.1964	01.04.1969	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
4	श्री चन्द्रशेखर जोशी	सामान्य	28.08.1946	—	16.02.1965	01.04.1969	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
5	श्री विशनदत्त तिवारी	सामान्य	05.08.1945	—	14.05.1968	01.01.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
6	श्री सुरेश चन्द शर्मा	सामान्य	23.06.1943	—	15.05.1968	01.01.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
7	श्री रामस्वरूप द्वितीय	अ0जा0	01.09.1944	—	20.05.1968	01.01.1974	का0अ0 ग्रेड–2	सेवानिवृत्त
8	श्री गोपाल दत्त जोशी	सामान्य	15.04.1949	—	09.02.1970	01.01.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
9	श्री चन्द्र दत्त जोशी	सामान्य	15.11.1948	—	20.06.1970	01.01.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
10	श्री प्रीतम कुमार वर्मा	सामान्य	01.02.1947	—	05.01.1971	01.01.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
11	श्री के0सी0 राम	अ0जा0	10.03.1946	—	11.05.1971	01.01.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
12	श्री अजय कुमार गुप्ता	सामान्य	26.08.1947	—	20.03.1972	01.12.1974	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
13	श्री बी0एस0 नेगी	सामान्य	04.01.1948	—	24.04.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
14	श्री जयलाल सिंह नेगी	सामान्य	15.01.1951	—	24.04.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	स्थानापन्न प0क0अ0–2
15	श्री अर्जुन सिंह रौथाण	सामान्य	19.03.1949	—	24.04.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
16	श्री सुरेन्द्र सिंह आर्य	अ0जा0	05.07.1949	—	24.04.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
17	श्री प्रेम कुमार बहुगुणा	सामान्य	15.07.1950	—	27.04.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	स्थानापन्न प0क0अ0–2
18	श्री शिव प्रसाद मंझखोला	सामान्य	24.06.1947	—	03.05.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	मृत्यु
19	श्री गजेन्द्र सिंह चौहान	सामान्य	15.09.1947	—	05.05.1973	01.07.1977	वरिष्ठ लिपिक	सेवानिवृत्त

20	श्री जमन सिंह बिष्ट	सामान्य	15.09.1949	—	28.07.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
21	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी	सामान्य	03.05.1953	—	01.08.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	स्थानापन्न प0क0अ0—2
22	श्री रामभरोसे डंगवाल	सामान्य	09.12.1947	—	12.10.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
23	श्री बी0सी0 जोशी	सामान्य	13.12.1947	—	29.11.1973	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
24	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	सामान्य	15.07.1949		02.04.1974	01.07.1977	मुख्य सहायक	सेवानिवृत्त
25	श्री बी0एस0 रावत	अ0ज0जा0	06.06.1953	—	01.08.1975	01.08.1978	मुख्य सहायक	स्थानापन्न प0क0अ0—2
26	श्री कुलवन्त सिंह	सामान्य	06.01.1951	—	11.03.1976	01.07.1977	मुख्य सहायक	
27	श्री गोविन्द सिंह नेगी	सामान्य	07.02.1956	—	24.03.1977	01.07.1977	मुख्य सहायक	
28	श्री राजविलोचन बहुगुणा	सामान्य	14.02.1959	—	18.03.1978	01.04.1981	मुख्य सहायक	
29	श्री दान सिह नेगी	सामान्य	15.06.1953	—	10.04.1978	—	मुख्य सहायक	
30	श्री अयाज हुसैन	अ0पि0व0	12.01.1958	—	05.12.1978	—	मुख्य सहायक	
31	श्री कारेलाल शर्मा	सामान्य	06.06.1944	—	01.01.1979	—	वरिष्ठ लिपिक	सेवानिवृत्त
32	श्री विरेन्द्र कुमार	अ0जा0	01.01.1958	—	05.01.1979	—	मुख्य सहायक	स्थानापन्न प0क0अ0—2
33	श्री घनश्याम माणिक	सामान्य	01.07.1952	—	12.01.1979	—	मुख्य सहायक	
34	श्री इन्द्रजीत सिंह	सामान्य	20.07.1957	—	11.05.1979	—	मुख्य सहायक	
35	श्री खुशहाल सिंह	अ0जा0	01.07.1951	—	24.01.1981	—	वरिष्ठ लिपिक	स्वै0 सेवानिवृत्त
36	श्री दर्पणनाथ	सामान्य	03.04.1950	—	28.04.1981	—	मुख्य सहायक	स्वै0 सेवानिवृत्त
37	श्री शिवदत्त मेलकानी	सामान्य	03.12.1958	—	08.03.1982	08.08.1997	मुख्य सहायक	मृत्यु
38	श्री दिग्विजय सिंह (नेत्रहीन)	सामान्य	10.06.1958	—	22.03.1983	05.05.1999	मुख्य सहायक	
39	श्री नरेन्द्र भण्डारी (नेत्रहीन)	सामान्य	10.08.1963	—	23.03.1983	04.12.2004	मुख्य सहायक	
40	श्री मनोज सनवाल	सामान्य	13.01.1963	—	30.06.1983	08.08.1997	मुख्य सहायक	
41	श्री राजकुमार	सामान्य	01.01.1957	—	22.08.1983	05.05.1999	मुख्य सहायक	
42	श्री अनिल आनन्द	सामान्य	18.07.1959	14.10.1980	22.08.1983	08.09.1999	मुख्य सहायक	
43	श्री आलोक कुमार	सामान्य	15.01.1961	—	22.08.1983	30.12.1998	मुख्य सहायक	

44	श्री जितेन्द्र ठाकुर	सामान्य	19.10.1955	—	22.08.1983	—	मुख्य सहायक	
45	श्री भवानी दत्त जोशी	सामान्य	04.12.1956	—	22.08.1983	—	मुख्य सहायक	
46	श्री राकेश कुमार	सामान्य	01.07.1957	—	22.08.1983	05.05.1999	मुख्य सहायक	
47	कु0 विष्णुमाया	अ0जा0	26.05.1962	—	22.08.1983	05.05.1999	मुख्य सहायक	स्थानापन्न प0क0अ0–2
48	श्री राम खिलाड़ी सूर्या	अ0जा0	01.12.1955	14.10.1980	22.08.1983	05.05.1999	मुख्य सहायक	
49	श्री रिपुदमन सिंह	अ0जा0	07.06.1957	—	22.08.1983	05.05.1999	प्रवर सहायक	मृत्यु
50	मो0 उमर	पि0जा0	15.05.1960	—	22.08.1983	05.05.1999	प्रवर सहायक	स्वै0 सेवानिवृत्त
51	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	सामान्य	15.10.1956	—	30.08.1983	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
52	श्री दीपक कुमार शर्मा	सामान्य	01.05.1960	—	23.09.1983	05.05.1999	प्रवर सहायक	✓
53	श्री मोहन सिंह चम्याल	सामान्य	20.08.1960	—	23.09.1983	05.05.1999	प्रवर सहायक	✓
54	श्री आर0पी0 चमोली	सामान्य	10.09.1954	16.10.1982	22.03.1984	05.05.1999	प्रवर सहायक	✓
55	श्री नीलकंठ जोशी	सामान्य	17.11.1956	—	17.09.1984	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
56	कु0 प्रमोद मिश्रा	सामान्य	01.01.1962	—	30.05.1986	05.05.1999	प्रवर सहायक	✓
57	श्री दिनेश कुमार वर्मा	अ0जा0	17.01.1963	25.02.1982	30.03.1988	02.04.1988	प्रवर सहायक	✓
58	श्री कौस्तुभानन्द पन्त	सामान्य	16.12.1962	—	07.09.1988	08.08.1997	प्रवर सहायक	✓
59	श्रीमती सुरेखा सपालोक	सामान्य	02.06.1968	—	20.03.1989	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
60	श्री कृष्ण राम आर्य	अ0जा0	15.06.1962	—	01.04.1989	08.08.1997	मुख्य सहायक	
61	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	अ0ज0जा0	01.01.1968	—	07.10.1989	04.12.2004	मुख्य सहायक	
62	श्री सुशील कुमार निरंजन	अ0जा0	31.03.1969		11.10.1989	04.12.2004	मुख्य सहायक	
63	श्री हरि सिंह	अ0जा0	15.03.1959	—	12.10.1989	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
64	श्री रमेश चन्द्र सनवाल	सामान्य	03.03.1963	—	02.01.1991	08.08.1997	प्रवर सहायक	✓
65	श्री पान सिंह रावत	सामान्य	25.06.1971	—	19.09.1995	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
66	श्री सईद अहमद	अ0पि0व0	15.09.1974	—	20.10.1995	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
67	श्रीमती सुषमा चौधरी	सामान्य	02.06.1974	—	10.04.1996	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
68	श्रीमती संध्या मिश्रा	सामान्य	03.02.1964	—	17.06.1996	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
69	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	सामान्य	02.03.1973	—	01.10.1996	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
70	श्रीमती मंगनी हयांकी	अ0ज0जा0	01.06.1971	—	19.11.1996	04.12.2004	प्रवर सहायक	✓
71	श्रीमती रेखा शर्मा	सामान्य	25.06.1968	—	12.12.1997	04.12.2004	प्रवर सहायक	मृत्यु

72	श्री सुरेश चन्द्र बछेटी	सामान्य	28.10.1963	05.05.1983	01.01.1998	04.12.2004	प्रवर सहायक	
73	श्री रतन सिंह गुरंग	सामान्य	30.10.1960	12.05.1983	01.01.1998	04.12.2004	प्रवर सहायक	
74	श्री विनोद भट्ट	सामान्य	12.09.1957	16.06.1985	01.01.1998	04.12.2004	प्रवर सहायक	
75	श्री दिलवर सिंह गुसाईं	सामान्य	21.12.1962	03.05.1986	01.01.1998	04.12.2004	प्रवर सहायक	
76	श्रीमती शान्ति पाण्डेय	सामान्य	28.11.1960	—	25.07.1998	04.12.2004	प्रवर सहायक	
77	श्रीमती रूकसाना शम्सी	अ0पि0व0	18.05.1975	—	08.10.1998	04.12.2004	प्रवर सहायक	
78	श्री यतिन तिवारी	सामान्य	26.06.1980	—	10.01.2000	04.12.2004	प्रवर सहायक	
79	श्री हरीश चन्द्र भट्टी	सामान्य	13.07.1969	—	30.01.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
80	श्री मनोज नेगी	सामान्य	28.07.1972	—	30.01.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
81	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला	सामान्य	05.01.1960	05.05.1983	14.06.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
82	श्री किशन सिंह नेगी	सामान्य	10.07.1960	18.06.1983	14.06.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
83	श्री मनोज पाठक	सामान्य	22.01.1963	24.09.1983	14.06.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
84	श्री रूपेश गढ़वाली	सामान्य	12.08.1977		16.08.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
85	श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	सामान्य	28.09.1960	06.05.1983	03.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
86	श्री श्याम सिंह लटवाल	सामान्य	30.06.1974		18.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
87	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	सामान्य	09.07.1964	04.07.1987	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
88	श्री रेशम सिंह	अ0जा0	01.08.1964	05.04.1988	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
89	श्री प्रेम दत्त बिजल्वाण	सामान्य	18.09.1958	20.06.1988	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
90	श्री कृष्ण किशोर	अ0जा0	10.10.1964	01.08.1988	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
91	श्री संजीव कुमार मिश्रा	सामान्य	01.08.1965	20.09.1988	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
92	श्री विजय सिंह गुसाईं	सामान्य	08.10.1960	16.01.1989	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
93	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	सामान्य	16.06.1964	24.05.1989	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
94	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत	सामान्य	16.02.1962	24.07.1989	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
95	श्री कृपाल दत्त जोशी	सामान्य	09.04.1963	04.09.1989	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
96	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल	सामान्य	07.11.1959	07.11.1989	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
97	श्री परमानन्द जखवाल	सामान्य	05.01.1964	09.01.1991	21.09.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
98	श्री कल्याण सिंह रावत	सामान्य	07.07.1960	19.12.1987	21.09.2001	—	क0 सहायक	
99	श्री उपदेश मंझखोला	सामान्य	12.02.1976	—	28.11.2001	04.12.2004	क0 सहायक	

100	श्री विजय पाल	अ0जा0	05.07.1963	—	22.12.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
101	श्री मोहन लाल	अ0जा0	12.09.1971	—	22.12.2001	04.12.2004	प्रवर सहायक	
102	श्री जितेन्द्र सिंह नेगी	सामान्य	21.06.1964	—	22.12.2001	04.12.2004	क0सहायक	
103	श्री बच्ची सिंह मेहरा	सामान्य	04.10.1959	—	22.12.2001	04.12.2004	क0सहायक	
104	श्री हीरा सिंह गुसाईं	सामान्य	12.09.1964	—	22.12.2001	04.12.2004	क0सहायक	
105	श्री आनन्द बल्लभ पाण्डे	सामान्य	05.06.1966	—	22.12.2001	04.12.2004	क0सहायक	
106	श्री गोविन्द सिंह ढैला	सामान्य	03.07.1960	—	22.12.2001.	04.12.2004	क0सहायक	
107	श्री मुकुल ममगाईं	सामान्य	14.10.1982	—	09.04.2002	04.12.2004	क0सहायक	
108	श्री उमेश चन्द	अ0जा0	01.01.1966	—	18.06.2004	02.04.2009	क0सहायक	
109	श्री हुकुम सिंह नेगी	सामान्य	13.03.1952	—	18.06.2004	22.05.2009	क0सहायक	
110	श्रीमती चम्पा देवी	सामान्य	05.05.1956	—	19.06.2004	18.06.2009	क0सहायक	
111	श्रीमती शकुन्तला देवी	अ0जा0	10.06.1952	—	21.06.2004	02.04.2009	क0सहायक	
112	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अ0जा0	29.04.1962	—	22.06.2004	22.05.2009	क0सहायक	
113	श्री मुकेश नवानी	सामान्य	11.10.1958	—	30.12.2004	02.04.2009	क0सहायक	
114	श्री सुरेश कोटनाला	सामान्य	01.01.1976	—	30.12.2004	02.04.2009	क0सहायक	
115	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	सामान्य	30.10.1976	—	01.01.2005	02.04.2009	क0सहायक	
116	श्री विजयपाल सिंह रावत	सामान्य	05.07.1978	—	15.01.2005	15.07.2009	क0सहायक	
117	श्री सुन्दरलाल पाण्डे	सामान्य	05.01.1970	—	16.02.2005	02.04.2009	क0सहायक	
118	श्री कृष्ण किशोर बिजल्वाण	सामान्य	06.08.1970	—	16.02.2005	02.04.2009	क0सहायक	
119	श्री दौलतराम पाण्डे	सामान्य	01.05.1973	—	16.02.2005	02.04.2009	क0सहायक	
120	श्री संजीव सिंह चौहान	सामान्य	04.06.1978	—	16.02.2005	02.04.2009	क0सहायक	
121	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	सामान्य	05.07.1974	—	20.06.2005	02.04.2009	क0सहायक	
122	श्री जयन्त वशिष्ठ	सामान्य	09.10.1972	—	14.07.2005	08.04.2009	क0सहायक	
123	श्री गिरिश चन्द	सामान्य	02.05.1975	—	14.07.2005	04.12.2004	क0सहायक	
124	श्री मुकुल कुमार अग्रवाल	सामान्य	16.05.1975	—	14.07.2005	08.04.2009	क0सहायक	
125	श्री भाष्करानन्द जोशी	सामान्य	05.11.1975	—	14.07.2005	08.04.2009	क0सहायक	
126	श्री जितेन्द्र बिष्ट	सामान्य	10.06.1978	—	15.07.2005	02.04.2009	क0सहायक	
127	श्री सत्येन्द्र भोज	सामान्य	26.06.1978	—	15.07.2005	02.04.2009	क0सहायक	
128	श्री पूरनचन्द्र पाण्डेय	सामान्य	01.07.1972	—	25.07.2005	02.04.2009	क0सहायक	

129	श्री रमेश कुमार सुनेजा	सामान्य	04.07.1972	—	25.07.2005	15.07.2009	क0सहायक	
130	श्री नीरज कुमार चौहान	सामान्य	11.05.1974	—	25.07.2005	08.04.09	क0सहायक	
131	श्री आनन्द बल्लभ उप्रेती	सामान्य	15.01.1975	—	25.07.2005	02.04.09	क0सहायक	
132	श्री तारकेन्द्र वैष्णव	सामान्य	10.09.1973	—	25.07.2005	08.04.2009	क0सहायक	
133	श्री महेन्द्र सिंह नेगी	सामान्य	09.05.1976	—	25.07.2005	08.04.2009	क0सहायक	
134	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय	सामान्य	01.06.1967	—	02.09.2005	02.04.2009	क0सहायक	
135	श्री ग्रेट वालिया	सामान्य	24.04.1972	—	02.09.2005	08.04.2009	क0सहायक	
136	श्री भगवान सिंह	सामान्य	18.12.1969	—	03.09.2005	08.04.2009	क0सहायक	
137	श्री गुरमुख सिंह	सामान्य	21.12.1965	—	03.09.2005	02.04.2009	क0सहायक	
138	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	सामान्य	05.08.1973	—	03.09.2005	02.04.2009	क0सहायक	
139	श्री जशवीर सिंह	सामान्य	09.01.1971	—	13.09.2005	08.04.2009	क0सहायक	
140	श्री गुरजीत सिंह पन्नू	सामान्य	10.07.1972	—	13.09.2005	—	क0सहायक	
141	श्री मुकेश तिवारी	सामान्य	24.10.1972	—	13.09.2005	08.04.2009	क0सहायक	
142	श्री अमित कुमार सती	सामान्य	25.10.1985	—	01.10.2005	08.04.2009	क0सहायक	
143	श्री देवेन्द्र सिंह मनवाल	सामान्य	08.07.1978	—	18.11.2005	02.04.2009	क0सहायक	
144	श्री कुलदीप सिंह नेगी	सामान्य	17.06.1977	—	22.11.2005	02.04.2009	क0सहायक	
145	श्री मुकुल कुमार कनौजिया	अ0जा0	16.01.1988	—	31.01.2006	02.04.2009	क0सहायक	
146	श्री यशवीर सिंह विष्ट	सामान्य	20.11.1974	—	15.02.2006	02.04.2009	क0सहायक	
147	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे	सामान्य	01.01.1975	—	15.02.2006	24-10-09	क0सहायक	
148	श्री अनिमेश अग्रवाल	सामान्य	13.07.1975	—	15.02.2006	02.04.2009	क0सहायक	
149	श्री प्रदीप सिंह	सामान्य	22.07.1970	—	06.07.2006	02.04.2009	क0सहायक	

(विनोद शर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त।